भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 610
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

†610. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना' के तहत राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार की समीक्षा की है; और
(ख) आज की तिथि के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं, प्रदान की गई केंद्रीय सहायता और उपयोग की गई निधि तथा स्वीकृत कार्यों की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। इसलिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 04.07.2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की है।

योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) योगदान करती हैं। शेष राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

योजना के तहत, राज्य सरकारें नए फायर स्टेशन स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और दमकलकर्मियों, स्वयंसेवकों और समुदाय के क्षमता-निर्माण, और आधुनिक अग्निशमन उपकरण खरीदकर अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और राज्य मुख्यालयों और शहरी फायर स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार कर रही हैं।

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 610, दिनांक 03.02.2026</u>

महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक) [डीजी (एफएस, सीडी एवं एचजी)] योजना के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ बैठकें आयोजित करता है और परियोजना के कार्यान्वयन और निधियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। डीजी (एफएस, सीडी एवं एचजी) ने सभी संबंधित मुख्य सचिवों और राज्यों के अग्निशमन सेवा प्रमुखों को नियमित अंतराल पर अगली किश्तों के जारी किए जाने और निधियों के उपयोग में तेजी लाने सलाह जारी की है।

(ख): केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए सभी अट्ठाईस (28) राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब तक, राज्यों को कुल 1798.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत स्वीकृत और केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

***

लोक सभा अता. प्र.सं. 610, दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत स्वीकृत, प्रदान की गई केंद्रीय सहायता और जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय	एनडीआरएफ के अंतर्गत पी एंड सीबी निधि विंडो से केंद्रीय वित्तीय सहायता	राज्यों का आनुपातिक हिस्सा	जारी की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	252.86	189.65	63.21	132.76
2	अरुणाचल प्रदेश	63.95	57.56	6.39	34.54
3	असम	107.47	96.74	10.73	29.02
4	बिहार	340.90	255.68	85.22	76.70
5	छत्तीसगढ	147.75	110.81	36.94	33.24
6	गोवा	42.16	31.50	10.66	31.50
7	गुजरात	339.18	254.13	85.05	76.24
8	हरियाणा	117.19	87.47	29.72	26.24
9	हिमाचल प्रदेश	65.33	58.80	6.53	41.16
10	झारखंड	147.97	110.98	36.99	33.29
11	कर्नाटक	329.90	247.43	82.47	74.23
12	केरल	162.25	121.07	41.18	36.32
13	मध्य प्रदेश	397.54	297.15	100.39	89.15
14	महाराष्ट्र	614.09	460.30	153.79	138.09
15	मणिपुर	45.00	40.50	4.50	28.35
16	मेघालय	44.37	39.94	4.43	11.98
17	मिजोरम	40.00	36.00	4.00	25.20
18	नागालैंड	40.05	36.05	4.00	36.05
19	ओडिशा	200.38	150.29	50.09	105.20
20	पंजाब	131.56	98.67	32.89	29.60
21	राजस्थान	388.94	291.71	97.23	87.51
22	सिक्किम	32.25	29.03	3.22	20.32
23	तमिलनाडु	373.27	279.95	93.32	195.97
24	तेलंगाना	190.14	142.61	47.53	99.83
25	त्रिपुरा	42.36	38.12	4.24	26.69
26	उत्तर प्रदेश	768.67	576.50	192.17	172.95
27	उत्तराखंड	78.89	71.00	7.89	21.30
28	पश्चिम बंगाल	376.76	282.57	94.19	84.77

***